



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 निगरानी क्रि. 1820-III-14

1. कस्तूरीलाल पुत्र मुन्नालाल गुप्ता
2. प्रमोद कुमार पुत्र अमृतलाल गुप्ता
3. जवाहरलाल
4. मोहनलाल
5. सुमन कुमार
6. शिवदयाल

पुत्रगण स्व. मोतीलाल

निवासीगण ग्राम बरोली ठकुरान तह. जबा
जिला रीवा (म.प्र.)

- आवेदकगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. मुन्नालाल गुप्ता
निवासीगण ग्राम बरोली ठकुरान तह. जबा
जिला रीवा (म.प्र.)

2. हल्का पटवारी जबा जिला रीवा (म.प्र.)

- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार महोदय तह. जबा जिला रीवा के प्रकरण

क्रमांक 40/अ-27/ 13-14 में पारित आदेश दिनांक

04.06.2014 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

- (1) यह कि, स्थित ग्राम बरोली ठकुरान की भूमि सर्वे क्र. 104/6 रकवा 0.429 है, 336/1 रकवा 0.320 है, 336/3 रकवा 0.445 है, 336/4 रकवा 0.081 है, के भूमि स्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण क्र. 1 सह-खातदार हैं । उक्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 निर्माण कार्य संचालित कर दिया गया । इस कारण उक्त

श्री. राजस. श्री. ग्वालियर को
द्वारा आज दि. 17/6/14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(S. P. Singh)
17.6.14

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-1820-तीन/2014

जिला-रीवा

कस्तूरीलाल आदि विरुद्ध बाबूलाल व हल्का पटवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जबा, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 40/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;">(असोकें0 जैन) सदस्य 19-03-19</p>